स०न०. 515
शीट.. 6
फीस.. 200
शब्द.. 261

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर बस्ती

वाद सं- 29/
T201917140301408

अन्तर्गत धारा 80 उ०प्र०
रा० सं० 2006

बाबत ग्राम - रिठिया
तप्पा - दुबौला
परगना - नगर पूर्व
तह व जिला बस्ती

श्री राम सहाय सिंह शान्ती सिंह मेमोरियल ट्रस्ट पंजी०-3200/08
द्वारा प्रबन्धक कर्ता धर्ता प्रबन्धक हनुमान सिंह

बनाम

सरकार

नकल आदेश दि. 25/2/19 की
द्वारा श्रीमान से चाहिए

2
200
26/2/19

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल :बस्ती,जनपद :बस्ती,तहसील :बस्ती सदर

वाद संख्या :-01408/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201917140301408

श्री रामसहाय सिंह शान्ती सिंह मेमोरियल ट्रस्ट मकान नं0 3200/08 पुराना डाकखाना कटरा द्वारा प्रबन्धक डा0 हनुमान सिंह बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम रिठिया तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती

निर्णय

वादी श्रीराम सहाय सिंह शान्ती सिंह मेमोरियल ट्रस्ट मकान नं0 3200/08 पुराना डाकखाना कटरा द्वारा प्रबन्धक डा0 हनुमान सिंह पुत्र सत्यप्रकाश सिंह साकिन महरीपुर तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती द्वारा अपनी भूमिधरी गाटा संख्या 125मि./0.058 हे0, गाटा संख्या 104क/0. 063 हे0 गाटा संख्या 111/0.126 हे0, गाटा संख्या 126मि./0.057 हे0 भूमि स्थित ग्राम रिठिया तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किये जाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि वादी द्वारा बतौर आबादी आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में आवासीय प्रयोजन की भूमि अंकित किया जाय। वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसील से आख्या प्राप्त किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की आख्या दिनांक 06.02.2018 को अग्रसारित कर प्रेषित किया गया है में उल्लेख किया गया है कि ग्राम रिठिया तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती के खतौनी वर्ष 1423–1428 फसली के खाता संख्या 124 के गाटा संख्या 125/0.213 हे0, खाता संख्या 16 के गाटा संख्या 104क/0.063 हे0, गाटा संख्या 111/0.126 हे0, तथा गाटा संख्या 126/0.426 हे0 भूमि पर वादी का नाम अन्य सहखातेदरो के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। तहसील की आख्यानुसार उक्त गाटा संख्या 125मि./0. 058 हे0, गाटा संख्या 104क/0.063 हे0 गाटा संख्या 111/0.126 हे0, गाटा संख्या 126मि./0.057 हे0 भूमि पर वादी द्वारा कृषि कार्य नही किया जा रहा है, भूमि पर बतौर आबादी आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। अतएव उक्त विवादित भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसील आख्या एवं अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया गया। ग्राम रिठिया तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती के खतौनी वर्ष 1423–1428 फसली के खाता संख्या 124 के गाटा संख्या 125/0.213 हे0, खाता संख्या 16 के गाटा संख्या 104क/0.063 हे0, गाटा संख्या 111/0.126 हे0, तथा गाटा संख्या 126/0.426 हे0 भूमि पर वादी का नाम अन्य सहखातेदरो के साथ संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित हैं। तहसील की आख्यानुसार उक्त गाटा संख्या 125मि./0.058 हे0, गाटा संख्या 104क/0.063 हे0 गाटा संख्या 111/0. 126 हे0, गाटा संख्या 126मि./0.057 हे0 भूमि पर वादी द्वारा बतौर आबादी आवासीय प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा कोर्ट फीस (स्टाम्प द्वारा) तथा ट्रेजरी चालान से आवासीय घोषित कराने हेतु निर्धारित शुल्क जमाकोष किया गया है। कोर्ट फीस (स्टाम्प द्वारा) तथा ट्रेजरी चालान की मूलप्रति संलग्न पत्रावली है। वर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार राजस्व अभिलेख में आवासीय प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम रिठिया तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती के खतौनी वर्ष 1423–1428 फसली के खाता संख्या 124 के गाटा संख्या 125मि./0.058 हे0 व खाता संख्या 16 के गाटा संख्या 104क/0.063 हे0, गाटा संख्या 111/0.126 हे0 तथा गाटा संख्या 126मि./0.057 हे0 भूमि को श्रीराम सहाय सिंह शान्ती सिंह मेमोरियल ट्रस्ट मकान नं0 3200/08 पुराना डाकखाना कटरा द्वारा प्रबन्धक डा0 हनुमान सिंह पुत्र सत्यप्रकाश सिंह साकिन महरीपुर तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती के नाम आवासीय प्रयोजन हेतु घोषित करते हुए लगान रुपया 2.90 भू राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबंधक बस्ती को प्रेषित किया जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाय।

दिनांकः 17 फरवरी,2019

(श्री प्रकाश शुक्ल)
उप जिलाधिकारी,
सदर बस्ती।

...e of Institution
...ate of Preparation
...ate of Delivery